Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

घरेलू हिंसा समाप्ति में शिक्षा की भूमिका का एक समाशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. अनिता टॉक*

* सहायक आचार्य (समाजशास्त्र) राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय समाज एक पुरूष प्रधान समाज है। यही कारण है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' की अवधारणा होते हुए भी व्यवहार में महिलाओं के स्वाभिमान और उनके जीवन की आहुति दी जाती रही है। यही कारण है कि महिलाओं का उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन, तिरस्कार एवं यंत्रणा उतनी ही प्राचीन है जितना कि पारिवारिक जीवन का इतिहास। हमारे देश में पति को पत्नी पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता है। इन्हीं धारणाओं और मान्यताओं का परिणाम महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा के रूप में देखने को मिलता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर दस में से छः औरतों की यही कहानी है। जो घरेलू हिंसा की शिकार होती है। ज्यादातर मामलों में वे महिलाऐं अपने पति या करीबी साथी के जरिये की गयी हिंसा की शिकार होती हैं।

भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) 2015–16 के अनुसार भारत में करीब 33% महिलाऐं अपने पतियों की वजह से घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं फिर चाहे वो हिंसा शारीरिक हो यौनिक हो या फिर भावनात्मक स्तर पर हों। यू.पी., एम.पी, महाराष्ट्र, पं. बंगाल व राजस्थान कुछ ऐसे राज्य जहाँ महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा हिंसा की घटनाऐं हुई हैं। 2018 के आँकड़ों के मुताबिक पति और रिश्तेदारों द्वारा महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के मामले करीब 33% है। मतलब एक तिहाई।

पुलिस ने 2018 में 103,272 ऐसे मामले दर्ज किये थे। यदि इन आँकड़ों पर नजर डाली जाये तो प्रतीत होता है कि घरेलू हिंसा एक विकराल सामाजिक समस्या है। यह न सिर्फ भारत से ही सम्बन्धित है, अपितु यह एक वैश्विक समस्या है। घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 जैसे विभिन्न कानूनों का निर्माण, महिला जागरूकता, महिला स्वावलम्बन जैसे विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। इन उपायों पर दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि इन सबका जो मूल आधार है वह है स्त्री शिक्षा का प्रसार। महिला साक्षरता में कमी के कारण ही स्त्री शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषित है महिला अपराध व घरेलू हिंसा अशिक्षित समाज व अवसाद ग्रस्त समाज की मानसिकता का परिणाम है। इस अपराध व घरेलू हिंसा के विरूद्ध स्त्री शिक्षा को एक सशक्त हथियार के रूप में अपनाया जा सकता है।

शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। शिक्षा के आधार पर व्यक्ति में दक्षता, ज्ञान, कौशल तथा क्षमताओं का विकास होता है इन गुणों से व्यक्ति में परितवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की शक्ति तथा लचीलापन उत्पन्न होता है। शिक्षा समाज में व्यापक और सूक्ष्म, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का प्रभावशाली माध्यम है। विशेष रूप से मजबूत लोकतंत्र में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तथा न्याय संगत समाज की स्थापना के लिए शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में समुचित योगदान के लिए प्रत्येक नागरिक का शिक्षित होना अनिवार्य है। शिक्षा के माध्यम से वांछित परिवर्तनों को लाया जा सकता है चाहे किसी भी क्षेत्र की महिलाऐं हों, साक्षरता उनके जीवन के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

प्रस्तुत पत्र के माध्यम से हम शिक्षा व घरेलू हिंसा के मध्य सहसम्बन्ध को प्रकट करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा द्वारा पुरूषवादी सोच में परिवर्तन करना होगा। महिलाओं के प्रति हिंसा की जड़ पुरूषवादी सोच है, जिसमें पुरूष के प्रभुत्व को स्वीकृति दी जाती है। इस सोच को शिक्षा के द्वारा ही बदला जा सकता है, जिससे पुरूष और महिला को समान समझने की मानसिकता विकसित हो। समतावादी शिक्षा के प्रसार से पुरूष अपनी पत्नी, प्रेमिका, बहिन या अन्य किसी भी महिला को अपने से हीन या निम्न नहीं समझेगा। विद्यालय एवं कॉलेज के पाठ्यक्रम में परिवार से सम्बन्धित पाठ्यक्रम सम्मिलित किया जा सकता है क्योंकि परिवार ही संस्कृति का मूल है। घरेलू हिंसा पर रोक के लिए बच्चों में ऐसे संस्कार पैदा कर सकते हैं जिससे पुरूष और महिला को समान समझने की मानसिकता विकसित हो। स्कूल व कॉलेज स्तर पर मनोवैज्ञानिक कक्षाओं के संचालन के माध्यम से भी महिलाओं हेय दृष्टि से देखने के नजरिये को परिवर्तित किया जा सकता है। पूर्व शिक्षा मन्त्री वासुदेव देवनानी जी ने कहा था शिक्षा के अभाव के कारण घरेलू हिंसा के मामले अधिक आते हैं। अतः स्त्री शिक्षा का प्रसार घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। जो नारियां घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाये। इससे उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और वे किसी भी घरेलू हिंसा का मुकाबला कर सकेंगी। शिक्षित व स्वावलम्बी नारी ही समाज को शक्तिशाली बना सकती है। नारी शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी। शिक्षित महिला ही परिवार तथा देश का विकास कर सकती हैं, बच्चों की पहली शिक्षक माँ होती है जो उन्हें जीवन की अच्छाईयों और बुराईयों से अवगत कराती है अगर नारी शिक्षा को नजरंदाज किया गया तो देश के भविष्य के लिए यह किसी खतरे से कम नहीं होगा। शिक्षित महिलाऐं चुनौतियों का सामना करने

में सक्षम होगी। महिलाऐं अपने अधिकार व कर्त्तव्यों के प्रति जाग्रत हों, इसके लिए सबसे आवश्यक है उनका शिक्षित होना। इसके लिए माता-पिता के साथ घर के सभी सदस्यों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्हें यह समझना होगा कि शिक्षा ही अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है महज पुलिस की भूमिका को केन्द्र में रखकर महिलाओं के लिए समाज को सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जी का आम जनता से जो बेटी बचाओ, बेटी पढाओ का आह्वान आम जनता से हैं क्योंकि सबको इसका समर्थन करना होगा। केवल न्यायालय, पुलिस या सरकार के भरोसे इसे खत्म नहीं किया जा सकता।

भारतीय समाज अनेक कुरीतियों, रूढ़ियों व कुप्रथाओं से व्यक्त है। इसका प्रमुख कारण अशिक्षा है। जिसके कारण व्यक्ति व समाज इन रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है और उन्हें तोड़ नहीं पा रहा है। अशिक्षा के कारण ही स्त्री पुरूष की समता वाले विचारों को ना ही स्वीकार किया गया है और नही लागू किया गया है। अशिक्षा के कारण ही स्त्रियाँ अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाती है और पुरूषों की तुलना में स्वंय को हीन समझती हैं जबकि पुरूष अशिक्षा के कारण स्त्री को समान नहीं समझते हैं। इस कारण वे स्त्री को पीटना अपना अधिकार समझने लगते हैं। अशिक्षित होने के कारण महिलाऐं सरकार द्वारा दिये गये संरक्षणों व योजनाओं का लाभ लेने व हिंसा का विरोध करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं और अपने प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार को सहन करती रहती हैं।

स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता व चेतना का विकास होता है, इस कारण ससुराल या परिवार में वह समानता की मांग करती है। सामाजिक आर्थिक पारिवारिक निर्णय में अपनी सहभागिता चाहती है तो पति व ससुराल वाले उसको नकारते हैं पुरूष वर्चस्वता वाले भारतीय समाज को पुरूष अपनी पत्नी को समकक्ष मानने से झिझकता है, जिसके कारण पारिवारिक कलह होती है।

निष्कर्ष:

1. महिला साक्षरता व शिक्षा में वृद्धि कर घरेलू हिंसा को रोका जा सकता है।
2. महिलाऐं शिक्षित होंगी तो हिंसा सहन भी नहीं करेगी और हिंसा होने पर न्यायालय की शरण भी लेंगी।
3. स्त्री शिक्षा में वृद्धि के साथ ही पुरूषों को भी समतावादी शिक्षा प्रदान की जाएगी तो स्त्रियों के प्रति उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होगा। जिससे घरेलू हिंसा पर रोक लगेगी।
4. प्रधानमन्त्री जी के 'बेटी बचाओं- बेटी पढ़ाओं' अभियान उपर्युक्त सब विश्लेषण का सार है। यह अभियान घरेलू हिंसा की समस्या से निपटने में कारगर सिद्ध होगा।

घरेलु हिंसा व उत्पीड़न को समाप्त करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा और शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध को नेशनल फेमिली एण्ड हेल्थ सर्वे के एक सर्वे के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। सर्वे के अनुसार कभी स्कूल न जाने वाली 40 प्रतिशत महिलाओं को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है जिन महिलाओं ने स्कूली पढ़ाई की होती है उनके हिंसा व उत्पीड़न के मामले 18 प्रतिशत ही देखे गए हैं। सर्वे के तथ्य बताते हैं कि शिक्षा का प्रभाव महिलाओं के साथ हिंसा पर भी दिखता है, सर्वे के अनुसार महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में आरोपी पति होता है यहाँ भी शिक्षा की भूमिका अहम् है जिन पतियों ने स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्ष पूरे किए हैं, उनमें शादी के बाद शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा करने की सम्भावना उन लोगों के मुकाबले आधी 21प्रतिशत होती है जो कभी स्कूल नहीं गए। महिलाओं में ही नहीं पुरूषों में भी जैसे-जैसे शिक्षा और सम्पति के स्तर में बढ़ोतरी होगी। उनके साथ होने वाली हिंसक घटनाऐं भी कम होंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहुजा, राम 2001, सामाजिक समस्याऐं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।
2. बाबेल, बसंतीलाल (2022), अशोका लॉ हाउज्स, नई दिल्ली।
3. https://ncbi.nilm.nih.gov.in
4. https://hi.m.wikipedia.org
5. घरेलु हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 और घरेलू हिंसा से संरक्षण नियम-2006 कानून प्रकाशक, जोधपुर।
6. https://www.dnaindia.com
